कार्यालय – जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर (म.प्र.)

जावक क्र. 06 /लेखा/ 21 बुरहानपुर, दिनांक 18/06/21

//परिपत्र//

प्रायः यह देखने में आता है कि न्यायिक जिला स्थापना पर पदस्थ न्यायिक अधिकारीगण, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण बिना पूर्व अवकाश स्वीकृति के अवकाश पर चले जाते हैं, यह प्रवृत्ति खेदजनक है। उपरोक्त प्रवृत्ति के कारण कार्यालय/न्यायालय/अनुभाग में काफी असुविधा होती है। अतः स्थापना पर समस्त न्यायिक अधिकारीगण, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि, अपरिहार्य कारणों को छोड़कर, बिना पूर्व अवकाश स्वीकृत किये बिना, अवकाश पर प्रस्थान न करें।

इसके अलावा स्थापना पर पदस्थ समस्त न्यायिक अधिकारीगण, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे अर्जित अवकाश आवेदन नियमानुसार 21 दिवस पूर्व, लधुकृत अवकाश आवेदन रोग से पीड़ित होने के 07 दिवस की समयसीमा में मेडिकल प्रमाणपत्र सहित, ऐच्छिक अवकाश 03 दिवस पूर्व तथा अन्य प्रकार के अवकाश आवेदन कम से कम 07 दिवस पूर्व आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें, ताकि कार्यालयीन प्रकिया पूर्ण की जा सके। अवकाश स्वीकृति प्राप्त होने पर एवं जानकारी प्राप्त करने के बाद ही वे अवकाश पर प्रस्थान करें।

इस परिपत्र में उल्लेखित निर्देशों का उल्लंघन करने पर अनुशासनहीनता मानी जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

18/6/2021

(के.एस. बारिया)
प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर

पृष्ठाकंन क्र. : 778/लेखा/21 **बुरहानपुर, दिनांक : 18/06/2021**

प्रतिलिपि :–

1– श्रीमान् प्रथम/द्वितीय/तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर
2– श्रीमान् प्रथम/द्वितीय/तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, बुरहानपुर/
3– श्रीमान् प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, बुरहानपुर/
4– श्रीमान् प्र.व्य.न्याया.वर्ग–2 के न्या. के तृतीय/चतुर्थ अति. न्याया. वर्ग–2 बुरहानपुर
5– श्रीमान प्रथम व्यव. न्या. वर्ग–2 के षष्ठम अति. न्याया.तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर,
6– श्रीमान् प्रभारी अधिकारी, कार्यालय/तलवाना/फाईलिंग/अभिलेखागार/सी.एन.आर. जनरेशन/डिजिटलाईजेशन अनुभाग/नजारत अनुभाग बुरहानपुर
7– प्रस्तुतकार, न्यायालय–जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर
8– प्रशासनिक अधिकारी/उप प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय बुरहानपुर

की ओर सूचनार्थ एवं न्यायालयों में पदस्थ समस्त तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण को उपरोक्तानुसार सूचित करने हेतु प्रेषित।

वास्ते/जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बुरहानपुर (म.प्र.)